सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर, (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

—000—

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की **कंडिका–5.08**–छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि रिकार्ड व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जा रहा है जिससे आवेदकों को जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है । आयोग ने इस संबंध में अनुशंसा की है कि विभागों द्वारा रिकार्ड व्यवस्थित रखें तथा इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–19/2006/1/6, दिनांक 17.10.2006 द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किए गए हैं, संभवतः उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

2/– अतः अनुरोध है कि आपके कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध रिकार्ड व्यवस्थित ढंग से रखा जाये ताकि आवेदक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज उन्हें आसानी उपलब्ध कराया जा सके । दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने/विनिष्टिकरण किए जाने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3/– **कंडिका–5.09**– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1) (ख) के तहत जानकारी वेबसाईट पर अपडेट नहीं की जा रही है । अतः आपके द्वारा जारी दिशा/निर्देश/अधिसूचना/नियमों की जानकारी वेबसाईट पर अपडेट करवायें जावे, ताकि आवेदकों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके ।

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रतिलिपिः– सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2.2013 के संदर्भ सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग